



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 31 राँची, शुक्रवार,

20 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2022

संख्या-7/ प्रोन्नति - 203 / 2016 (खण्ड) का० 7264--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सतीश कुमार (वरी.क्र० - 581 'क'), उप सचिव (पी०बी०- III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 12), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/ प्रोन्नति- 203/ 2016 (खण्ड) का० 7265--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्रीमती वन्दना कुमारी (वरी.क्र.- 572), उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/ प्रोन्नति- 203/2016 (खण्ड) का० 7266--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुशील कुमार लाल दास (वरी.क्र.- 573), उप सचिव (पी०बी०- III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०- IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक विधि विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/ प्रोन्नति-203/ 2016 (खण्ड) का० 7267--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रघुनाथ राम (वरी.क्र. - 584), उप सचिव (पी०बी०- III, पे० बैंड रु० 15600- 39100 /-, ग्रेड पे० रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०- IV, पे० बैंड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम- 74 के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नत पद पर योगदान/ प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
